हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

ओ. बी. सी. प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर , जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण	शम्सुद्दीन	गणपत सोनी	कमरूद्दीन	कीर्ति शक्करवार
पदेन संरक्षक	प्रान्तीय अध्यक्ष	प्रान्तीय महासचिव	प्रान्तीय महासचिव	प्रान्तीय कोषाध्यक्ष
94133-89665	81048-13100	95888-55196	99831-35260	80586-76887

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
चम्पालाल परिहार
मो. 9982719000

बीकानेर :
प्रीतम सैन
मो. 9549981999

भरतपुर :
योगेश योगी
मो.6377086932

जयपुर :
मोहम्मद इमरान खान
मो. 9887074793

जोधपुर :
वीरेन्द्र सिंह
मो. 9782365572

कोटा :
पानाचन्द जांगिड़
मो. 7340523027

उदयपुर:
आनन्द पुर्विया
मो. 7737709204

क्रमांक 87294 दिनांक : 16.09.2023

श्रीमान अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण करने एवं **EWS** के पांचों मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग में भी लागू करने की मांग।

महोदय,

(1) *ओबीसी के वर्गीकरण की मांग* :– विनम्र निवेदन है कि आप यह भली भांति जानते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लगभग सम्पूर्ण लाभ केवल एक ही जाति द्वारा वर्षों से हड़पा जा रहा है। ओबीसी वर्ग की सूची में शामिल लगभग सभी जातियॉं जब से उपरोक्त जातिविशेष को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है तभी से आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं से वंचित होती जा रही हैं। वर्ष 2003 में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (आर.एस.वर्मा आयोग की रिपोर्ट) की नौंवी रिपोर्ट में वास्तविक पिछड़ी और कमजोर जातियों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग की जातियों को 03 वर्गों में विभाजित करने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश को आप श्रीमान ने एक जातिविशेष के दवाब में आकर अविधिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। जिसके कारण पिछले 20 वर्षों से ओबीसी वर्ग में शामिल अन्य सभी जातियॉं आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ से लगभग वंचित होती जा रही हैं।

केन्द्र सरकार ने भी वास्तविक वंचितों और पिछड़ों तक आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में रोहिणी आयोग की नियुक्ति कर अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण हेतु उचित मानदण्ड तय करते हुये रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया था । इस रोहिणी आयोग ने भी अभी अगस्त 2023 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को चार भागों में वर्गीकृत करने की सिफारिश किये जाने की जानकारी मिली है। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नौंवी रिपोर्ट, रोहिणी आयोग द्वारा अगस्त 2023 में प्रस्तुत रिपोर्ट और हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन या चार भागों में वर्गीकृत करने के आदेश जारी करावें ताकि राजस्थान की 90 से अधिक वास्तविक, वंचित और पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

(लगातार— 2)

(2) ***EWS** के पांचों मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग में भी लागू करने की मांग* :– आप यह भी भली भांति जानते है कि ओबीसी में से जो क्रिमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना है वो बिल्कुल ही अनुपयोगी एवं प्रभावहीन है। इस क्रिमिलेयर की अधिसूचना के आधार पर केवल एक प्रतिशत अति सम्पन्न व्यक्ति ही ओबीसी से बाहर हो पाते है, जिसके कारण सम्पन्न और धनाढ्य व्यक्तियों के परिवार विपन्न, गरीब व वास्तविक पिछड़ों के अधिकारों को लगातार हड़पते जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग का वास्तविक वंचित और पिछड़ा वर्ग आज भी आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। हमारा आप से आग्रह है कि इस क्रिमिलेयर की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये **EWS** के पांचों मानदण्ड *(5 एकड या उससे कम कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट या उससे कम आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 गज या कम का आवासीय प्लॉट, अन्य क्षेत्र में 200 वर्गगज या कम का आवासीय प्लॉट एवं परिवार की 8 लाख से कम वार्षिक आय)* अन्य पिछड़ा वर्ग में भी लागू किये जाये। आप यह भली भांति जानते हैं कि **EWS** के लिए निर्धारित पांचों मानदण्ड यदि ओबीसी में भी लागू कर दिये जाते है तो वास्तविक वंचितों और पिछड़ों को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जायेगा। केन्द्र सरकार की तरह आप भी जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर वास्तविक वंचितों और पिछड़ों तक आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उन्हें सशक्त और समर्थ बनाने के लिए **EWS** के पांचों मानदण्ड कृपया तत्काल प्रभाव से ओबीसी में भी लागू करने की अधिसूचना जारी करवाने का अनुग्रह करें।

हमारे द्वारा ओबीसी वर्ग के वास्तविक वंचितों एवं पिछड़ों के उत्थान हेतु आपसे पिछले पांच वर्षों से लगातार ये प्रार्थनाएँ की जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए 04 अप्रेल 2019 को महामहिम राज्यपाल और आप श्रीमान को भेजे गये एक ज्ञापन की प्रति इस ज्ञापन के साथ संलग्न है।

कृपया त्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

शमशु.दी.

(शमशुद्दीन)
अध्यक्ष

संलग्नः उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 04.04.2019

प्रतिलिपिः– राजस्थान के सभी सम्मानित विधायकों को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त न्याय संगत मांगों को पूरा करवाने के लिए यथासम्भव मदद करें।

शमशु.दी.

(शमशुद्दीन)
अध्यक्ष

हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

ओ. बी. सी. प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर , जयपुर
Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण	रहमान खान	गणपत सोनी	कीर्ति शक्करवार
पदेन संरक्षक	प्रान्तीय अध्यक्ष	प्रान्तीय महासचिव	प्रान्तीय कोषाध्यक्ष
94133-89665	96673-50786	95888-55196	80586-76887

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
चम्पालाल परिहार
मो. 9982719000

बीकानेर :
प्रीतम सैन
मो. 9549981999

भरतपुर :
योगेश योगी
मो.6377086932

जयपुर :
मोहम्मद इमरान खान
मो. 9887074793

जोधपुर :
वीरेन्द्र सिंह
मो. 9782365572

कोटा :
पवन कुमार
मो. 7014766084

उदयपुर:
आनन्द पुर्विया
मो. 7737709204

क्रमांक 1010–1209 दिनांक : 04.04.2019

श्रीमान कल्याण सिंह जी साहेब
माननीय राज्यपाल महोदय
राजभवन, जयपुर।

माननीय श्रीमान् अशोक गहलोत साहेब,
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर भी लागू किये जाने तथा **OBC** को तीन वर्गों में वर्गीकृत करने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार एवं संसद द्वारा संविधान संशोधन के जरिये देश के करोड़ों अनारक्षित गरीबों के लिए आरक्षण के प्रावधान करके एक समतावादी, राष्ट्रवादी और एतिहासिक कार्य किया गया है। विशेषकर आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए जो पांच मानदण्ड (8 लाख+चार शर्ते) तय किये गये हैं वे बेहद सूझबूझ, समतावादी और राष्ट्रवादी भावना के आधार पर तय किये गये हैं। इन मानदण्डों के आधार पर यदि ईमानदारी से आर्थिक कमजोर वर्ग को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं तो निश्चित रूप से अनारक्षित वर्ग के केवल 20 से 30 प्रतिशत वास्तविक गरीब और पिछड़ों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और तथ्यात्मक रूप से जातियॉ अप्रासंगिक हो जायेंगी।

1. यह सर्वविदित तथ्य है कि ओबीसी वर्ग में जो कीमिलेयर सिद्धान्त लागू किया गया है उसके लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाऍ इतनी पेचिदा और मूर्ख बनाने वाली हैं कि ओबीसी वर्ग में केवल 1 प्रतिशत से भी कम व्यक्ति कीमिलेयर श्रेणी में आ रहे हैं। जो कि नगण्य संख्या है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए जो मानदण्ड केन्द्र सरकार द्वारा तय किये गये हैं वे सभी मानदण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में भी ज्यों के त्यों लागू किये जाएं ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल वास्तविक रूप से गरीब, पिछड़े एवं कमजोर जाति वर्ग के लोगों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। यह निश्चित है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के धनाढय, संभ्रान्त एवं अगड़े लोगों द्वारा उपरोक्त मानदण्डों का प्रबल विरोध किया जावेगा, लेकिन देश हित एवं गरीब पिछडों के उत्थान का उद्देश्य पुरा करने के लिए **OBC** में **EWS** के मानदण्ड लागू करना नितान्त आवश्यक है।

2. आजकल राजस्थान में सामान्य वर्ग की बहुतायत सीटों पर **OBC** के लोग चयनित हो रहे हैं। लगातार **OBC** के कट–ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग से ज्यादा जा रहे हैं। इसके कारण **OBC** आरक्षण का विरोध बढ़ रहा है। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि **OBC** वर्ग अगड़ों से भी अगड़ा है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इसरानी आयोग की रिपोर्ट एवं **IDS** संस्थान की रिपोर्ट में ये खुलासा किया जा चुका है कि **OBC** की सूची में शामिल 35 जातिवर्गों का एक

(लगातार—— 2)

हर इंसान-एक समान
एक राष्ट्र-एक जान
मेरा भारत महान

ओ. बी. सी. प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण	रहमान खान	गणपत सोनी	कीर्ति शक्करवार
पदेन संरक्षक	प्रान्तीय अध्यक्ष	प्रान्तीय महासचिव	प्रान्तीय कोषाध्यक्ष
94133-89665	96673-50786	95888-55196	80586-76887

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
चम्पालाल परिहार
मो. 9982719000

बीकानेर :
प्रीतम सैन
मो. 9549981999

भरतपुर :
योगेश योगी
मो.6377086932

जयपुर :
मोहम्मद इमरान खान
मो. 9887074793

जोधपुर :
वीरेन्द्र सिंह
मो. 9782365572

कोटा :
पवन कुमार
मो. 7014766084

उदयपुर:
आनन्द पुर्विया
मो. 7737709204

क्रमांक दिनांक :

भी व्यक्ति सरकारी नोकरी में नही हैं। केवल चार–पाँच सशक्त जातिवर्ग ही **OBC** का पूरा आरक्षण हड़प रही हैं। समता आन्दोलन की याचिका सं0 1645/2016 के निर्णय दिनांक 9.12. 2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय भी **OBC** वर्ग से 4–5 सशक्त जातियों को बाहर करने की हिदायत दे चुका है। प्रदेश के **OBC** आयोग की नौंवी रिपोर्ट में भी प्रदेश के **OBC** वर्ग को तीन भागों में बाँटने की सिफारिश की जा चुकी है। दुर्भाग्य से वोट–राजनीति के चलते ये सिफारिश या हाईकोर्ट की हिदायत नहीं मानी जा रही है। यदि ये **OBC** आयोग की सिफारिश, हाइकार्ट की हिदायत और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों के अनेक निर्णयों में दिये गये **OBC** आरक्षण की पाँच वर्षीय समीक्षा के निर्देशों की पालना की गयी होती तो प्रदेश में अब तक **OBC** वर्ग के वास्तविक पिछड़ों को लाखों रोजगार मिल चुके होते, अरबों रूपये की सरकारी सहायता मिल चुकी होती। प्रदेश में बार–बार होने वाला गूजर आन्दोलन भी नहीं होता, 72 गूजर मारे नहीं जाते, प्रदेश व केन्द्र को अरबों रूपये का नुकसान नहीं होता, राजस्थान राज्य का नाम पूरे देश में अराजक आन्दोलनों का प्रदेश के रूप में बदनाम नहीं होता।

यह कठोर सत्य है कि **OBC** वर्ग में शामिल हो चुकी चार–पाँच सशक्त व सम्पन्न जातियों को सूची से बाहर करने की क्षमता किसी भी सरकार में नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि **OBC** आयोग की नौंवी रिपोर्ट को तत्काल स्वीकार करते हुए प्रदेश में **OBC** वर्ग का तीन भागों में वर्गीकरण करने की कृपा करें ताकि प्रदेश की वास्तविक पिछड़ी जातियों को आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

तत्वरित सकारात्मक कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद।

भवदीय,

(रहमान खान)
प्रदेश अध्यक्ष

प्रतिः– सभी माननीय विधायकगण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।